भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †806
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

आतिथ्य योजना में त्योहारों को शामिल करने के लिए मानदंड

†806. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आतिथ्य योजना सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार में शामिल किए जाने वाले त्योहारों संबंधी पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या बंशीधर महोत्सव आतिथ्य योजना सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार में शामिल होने के योग्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): मेलों/त्योहारों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु पात्रता मानदंड में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(i) राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन क्षमता के आधार पर मेलों और त्योहारों का चयन किया जाना चाहिए।

(ii) वित्त पोषण का 50% संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, केवल उत्तर-पूर्व राज्यों को छोड़कर जहां पूर्ण वित्त पोषण पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

(iii) वित्तीय सहायता केवल अर्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण, पोस्टरों, पैम्फलेटों के निर्माण, समाचार पत्रों में विज्ञापन और फिल्म के निर्माण, कलाकारों के पारिश्रमिक, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि, आवास और बोर्डिंग, परिवहन, जगह किराए पर लेने और अन्य समान गतिविधियों के लिए प्रदान की जाती है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लिया जाए।

(ख) और (ग): आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन (डीपीपीएच) योजना के तहत बंशीधर महोत्सव के लिए सहायता हेतु पर्यटन मंत्रालय को अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****